Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Distinguished Lecture on Vishakha@25: Walk the Talk

Newspaper: Amar Ujala **Date: 05-06-2022**

देश के विकास के लिए समाज में महिलाओं की है भूमिका अहम : जस्टिस सूर्यकांत

हकेंविवि में आंतरिक शिकायत समिति व महिला सशक्तीकरण प्रकोष्ठ ने किया विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

संवाद न्यूज एजेंसी

महेंद्रगढ़। देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वह देश व राष्ट्र महान बन सकता है जो कि महिलाओं को सम्मान देता है।

इस दिशा में न्यायपालिका व कार्यपालिका की भूमिका अहम है। लेकिन इस दिशा में बदलावों के लिए जागरूकता व विमर्श बेहद जरूरी है। इसके लिए शैक्षिक संस्थानों को आगे आकर विशेष प्रयास करने होंगे।

यह विचार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शनिवार को विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) व महिला सशक्तीकरण प्रकोष्ठ द्वारा विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के माननीय जस्टिस सूर्यकांत ने व्यक्त किए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की जबकि कार्यक्रम में फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।

न्यामूर्ति ने बालिका छात्रावास का किया उद्घाटन : कार्यक्रम से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित 315 छात्राओं के रहने की क्षमता वाले बालिका छात्रावास का जस्टिस सूर्य कांत ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास परिसर में त्रिवेणी लगाकर व पोस्टर प्रदर्शनी का विमोचन कर विश्व पर्यावरण दिवस का भी शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि यह नया छात्रावास पूरी तरह से दिव्यांगजन हितैषी व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें बने कुल 105 कमरों में छात्राओं के लिए बैड, टेबल, चेयर व अलमारी आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

नवनिर्मित बालिका छात्रावास का उद्घाटन करते जस्टिस सूर्यकांत। संवाद

धर्म, जाति, रंग व लैंगिक समानता का हो अनुसरण

विश्वविद्यालय के प्रो. मूलचंद सभागार में आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान की शुरूआत विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुई। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सम्मिलित वक्ता फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार ने कहा कि यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर निरंतर विमर्श आवश्यक है। समाज बेहतरी के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, रंग व लैंगिक समानता का अनुसरण हो। भारतीय समाज इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

न्यायपालिका की स्थितियों में सुधार के लिए हो रहे प्रयास

कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत ने समाज, देश व विश्व समुदाय के विकास में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए आवश्यक समानता की दिशा में विशेष प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने इस असवर पर विशाखा गाइडलाइन के लागू होने की कहानी का उल्लेख करने के साथ-साथ इस दिशा में न्यायालय के द्वारा निरंतर जारी प्रयासों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार, सेना में महिलाओं को समान अवसर जैसे प्रयासों का उल्लेख प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका की स्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए नियम, कानून जरूरी हैं। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप इनमें सुधार व संशोधन होते रहने चाहिए। जस्टिस सूर्य कांत ने विशाखा गाइडलाइन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी उपयोगिता इस बात से साबित होती है कि हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश व पाकिस्तान में भी ऐसी ही गाइडलाइंस को लागू किया गया है। यह गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती हैं और संविधान में प्राप्त समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार के लिए आवश्यक है।

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Dainik Bhaskar **Date: 05-06-2022**

हकेंवि में आंतरिक शिकायत समिति व महिला सशक्तीकरण प्रकोष्ठ द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान हुआ

देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अहम : जस्टिस सूर्यकांत

भास्कर न्यूज़ | महेंद्रगढ़

देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वहीं देश महान बन सकता है जो कि महिलाओं को सम्मान देता है।

इस दिशा में न्यायपालिका व कार्यपालिका की भूमिका अहम है और इसके लिए शैक्षिक संस्थानों को आगे आकर विशेष प्रयास करने होंगे। ये विचार हकेंवि महेंद्रगढ़ में शनिवार को विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) व महिला सशक्तीकरण प्रकोष्ठ द्वारा विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत ने व्यक्त किए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की जबकि कार्यक्रम में फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व नवनिर्मित बालिका छात्रावास का जस्टिस सूर्यकांत ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार, शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. आनंद शर्मा, प्रोक्टर प्रो. प्रमोद कुमार, प्रो. राजेश मलिक, प्रो. सारिका शर्मा, डॉ. एपी शर्मा सहित शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी व शोधार्थी उपस्थित रहे।

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Dainik Jagran **Date: 05-06-2022**

देश के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण :सूर्य कांत

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति व महिला सशक्तिरण प्रकोष्ठ द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़: देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वह देश व राष्ट्र महान बन सकता है जो कि महिलाओं को सम्मान देता है। इस दिशा में न्यायपालिका व कार्यपालिका की भूमिका अहम है लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय बदलावों के लिए जागरूकता व विमर्श बेहद जरूरी है और इसके लिए शैक्षिक संस्थानों को आगे आकर विशेष प्रयास करने होंगे। ये विचार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेंवि), महेंद्रगढ़ में शनिवार को विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) व महिला सशक्तिरण प्रकोष्ठ द्वारा विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में सर्वोच्च न्यायालय, भारत के जस्टिस सूर्यकांत ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की जबकि कार्यक्रम में फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।

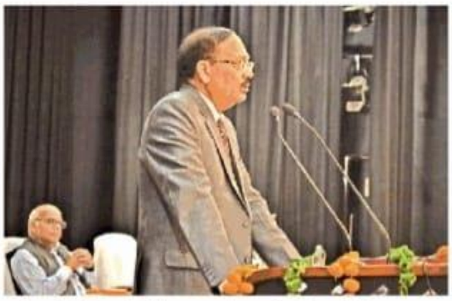

कार्यक्रम को संबोधित करते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत

विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित 315 छात्राओं के रहने की क्षमता वाले बालिका छात्रावास का जस्टिस सूर्यकांत ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास परिसर में त्रिवेणी लगाकर व पोस्टर प्रदर्शनी का विमोचन कर विश्व पर्यावरण दिवस का भी शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय कुलपति टंकेश्वर कुमार ने बताया कि यह नया छात्रावास पूरी तरह से दिव्यांगजन हितैषी व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें बने कुल 105 कमरों में छात्राओं के लिए बेड, टेबल, चेयर व अलमारी आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ वक्ता सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत ने समाज, देश व विश्व समुदाय के विकास में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए आवश्यक समानता की दिशा में विशेष प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने इस अवसर पर विशाखा गाइडलाइन के लागू होने की कहानी का उल्लेख करने के साथ-साथ इस दिशा में न्यायालय के द्वारा निरंतर जारी प्रयासों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। जिसमें महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति का अधिकार, सेना में महिलाओं को समान अवसर जैसे प्रयासों का उल्लेख प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका की स्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए नियम, कानून जरूरी हैं। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप इनमें सुधार व संशोधन होते रहने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने विशाखा गाइडलाइन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी उपयोगिता इस बात से साबित होती है कि हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश व पाकिस्तान में भी ऐसी ही गाइडलाईंस को लागू किया गया है। यह गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है और संविधान में प्राप्त समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार के लिए आवश्यक है। उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय व विभिन्न शिक्षण संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि शैक्षणिक संस्थान न सिर्फ अपने संस्थान के स्तर पर बल्कि स्थानीय स्तर पर भी महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता व समानता के लिए बने विभिन्न अधिकारों से आमजन को अवगत करा कर समाज को और बेहतर बना सकते हैं। आम नागरिक को अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में भी शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका भी अहम है। उन्होंने इस आयोजन के लिए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व आयोजन समिति की सराहना की। कार्यक्रम में सम्मिलित वक्ता फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज कुमार ने कहा कि यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर निरंतर विमर्श आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज बेहतरी के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, रंग व लैंगिक समानता का अनुसरण हो। भारतीय समाज इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इससे पूर्व कार्यक्रम संयोजक व आईसीसी के सदस्य डा. प्रदीप सिंह ने विशाखा गाइडलाइन पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा इस दिशा में दिए गए फैसलों का भी उल्लेख किया।

कार्यक्रम में मंच का संचालन महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की संयोजक डा. रेनु यादव ने किया। कार्यक्रम के अंत में आइसीसी की प्रेजाइडिंग आफिसर प्रो. कल्पना चौहान ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार, शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. आनंद शर्मा, प्रोक्टर प्रो. प्रमोद कुमार, प्रो. राजेश मलिक, प्रो. सारिका शर्मा, डा. एपी शर्मा सहित शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी व शोधार्थी उपस्थित रहे।

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Haribhoomi **Date: 05-06-2022**

देश के विकास के लिए समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्णः जस्टिस सूर्यकांत

हरिभूमि न्यूज ▸▸| महेंद्रगढ़

देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वह देश व राष्ट्र महान बन सकता है, जो कि महिलाओं को सम्मान देता है। इस दिशा में न्यायपालिका व कार्यपालिका की भूमिका अहम है, लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय बदलावों हेतु जागरूकता व विमर्श बेहद जरूरी है और इसके लिए शैक्षिक संस्थानों को आगे आकर विशेष प्रयास करने होंगे। ये विचार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शनिवार को विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) व महिला सशक्तिरण प्रकोष्ठ द्वारा विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में माननीय सवार्ेच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर ने की, जबकि कार्यक्रम में फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार भी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित 315 छात्राओं के रहने की क्षमता वाले बालिका छात्रावास का जसट्सि सूर्यकांत ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास परिसर में त्रिवेणी लगाकर व पोस्टर प्रदर्शनी का विमोचन कर विश्व पर्यावरण दिवस का भी शुभारंभ किया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सम्मिलित वक्ता फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार ने भी विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. रेनु यादव ने किया।

- कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ बनी विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पर विशेष आयोजन

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Impressive Times | **Date: 04-06-2022**

The role of women in society is important for the development of the country - Justice Surya Kant

Deepti Arora
info@impressivetimes.com

THESE VIEWS WERE EXPRESSED BY JUSTICE SURYA KANT, JUDGE SUPREME COURT OF INDIA IN THE EXPERT LECTURE ORGANIZED BY THE UNIVERSITY'S INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE (ICC) AND WOMEN'S EMPOWERMENT CELL AT CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA (CUH), MAHENDERGARH ON SATURDAY ON THE COMPLETION OF 25 YEARS OF 'VISHAKHA' GUIDELINE.

MAHENDERGARH: The role of women is very important in the development of the country and society. Swami Vivekananda has said that the country and the nation can become great, which gives respect to women. The role of Role of judiciary and legislature is important in this direction, but awareness and discussion is very important for significant changes in this direction and for this educational institutions will have to come forward and make special efforts. These views were expressed by Justice Surya Kant, Judge Supreme Court of India in the expert lecture organized by the University's Internal Complaints Committee (ICC) and Women's Empowerment Cell at Central University of Haryana (CUH), Mahendergarh on Saturday on the completion of 25 years of 'Vishakha' guideline. The program was presided over by Prof. Tankeshwar Kumar, Vice Chancellor of the University, while Dr. Pankaj Kumar, Additional District and Sessions Judge, Faridabad was also present in the event. Justice Surya Kant inaugurated the newly constructed girls hostel in the University campus with a capacity to accommodate 315 girl students. On this occasion, he also inaugurated World Environment Day by planting 'Triveni' in the hostel premises and releasing poster exhibition. Prof. Tankeshwar Kumar said that this new hostel is fully disabled-friendly and equipped with state-of-the-art facilities. In total 105 rooms built in it, facilities like bed, table, chair and wardrobe etc. have also been made available for the girl students. Prof. Sunil Kumar, Registrar presented the progress report of the University. Dr. Pankaj Kumar, Additional District and Sessions Judge, Faridabad, said that this topic is very important and continuous discussion is necessary on it. He said that for the betterment of the society it is necessary that religion, caste, color and gender equality should be followed. Indian society is constantly striving in this direction and for this there is a need to work with awareness. The distinguished speaker in the event, Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India mentioned the role of women in the development of society, country and world community and mentioned special efforts towards the necessary equality. Along with mentioning the story of the implementation of the Vishakha guideline on this occasion, he also drew attention to the continuous efforts made by the court in this direction. In which the reference to the efforts like the right of ancestral property to women, equal opportunities to women in the army were prominent. He said that the judiciary is constantly striving to improve the conditions of the executive and for this rules and regulations are necessary.

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Punjab Kesari **Date: 05-06-2022**

देश के विकास के लिए समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण: जस्टिस सूर्यकांत

■ हकेंवि में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ और आंतरिक शिकायत समिति द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

हकेंवि में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार।

महेंद्रगढ़, 4 जून (परमजीत, मोहन): देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वह देश व राष्ट्र महान बन सकता है जो कि महिलाओं को सम्मान देता है।

इस दिशा में न्यायपालिका व कार्यपालिका की भूमिका अहम है लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय बदलावों हेतु जागरूकता व विमर्श बेहद जरूरी है और इसके लिए शैक्षिक संस्थानों को आगे आकर विशेष प्रयास करने होंगे।

ये विचार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेंवि), महेंद्रगढ़ में शनिवार को विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति व महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के जस्टिस सूर्यकांत ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की जबकि कार्यक्रम में फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित 315 छात्राओं के रहने की क्षमता वाले बालिका छात्रावास का जस्टिस सूर्य कांत ने उद्घाटन किया।

उन्होंने छात्रावास परिसर में त्रिवेणी लगाकर व पोस्टर प्रदर्शनी का विमोचन कर विश्व पर्यावरण दिवस का भी शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि यह नया छात्रावास पूरी तरह से दिव्यांगजन हितैषी व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें बने कुल 105 कमरों में छात्राओं के लिए बैड, टेबल, चेयर व अलमारी आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

कार्यक्रम में सम्मिलित वक्ता फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार ने कहा कि यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर निरंतर विमर्श आवश्यक है। समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, रंग व लैंगिक समानता का अनुसरण हो। भारतीय समाज इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

न्यायपालिका कार्यपालिका की स्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत

कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत ने समाज, देश व विश्व समुदाय के विकास में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए आवश्यक समानता की दिशा में विशेष प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने इस अवसर पर विशाखा गाइडलाइन के लागू होने की कहानी का उल्लेख करने के साथ-साथ इस दिशा में न्यायालय के द्वारा निरंतर जारी प्रयासों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति का अधिकार, सेना में महिलाओं को समान अवसर जैसे प्रयासों का उल्लेख प्रमुख रहे।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका की स्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए नियम, कानून जरूरी हैं। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप इनमें सुधार व संशोधन होते रहने चाहिए।

विशाखा गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है

जस्टिस सूर्यकांत ने विशाखा गाइडलाइन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी उपयोगिता इस बात से साबित होती है कि हमारे पड़ोसी देशों बंगलादेश व पाकिस्तान में भी ऐसी ही गाइडलाइंस को लागू किया गया है। यह गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है और संविधान में प्राप्त समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार के लिए आवश्यक है।

उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय व विभिन्न शिक्षण संस्थानों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस आयोजन के लिए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व आयोजन समिति की सराहना की।

इस अवसर पर प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार, शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. आनंद शर्मा, प्रोक्टर प्रो. प्रमोद कुमार, प्रो. राजेश मलिक, प्रो. सारिका शर्मा, डॉ. ए.पी. शर्मा सहित शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी व शोधार्थी उपस्थित रहे।

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Rashtriya Khabar Date: 05-06-2022

विकास के लिए समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण : जस्टिस सूर्यकांत

हकेवि में आंतरिक शिकायत समिति व महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

राष्ट्रीय खबर ब्यूरो

चंडीगढ़। देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वह देश व राष्ट्र महान बन सकता है जो कि महिलाओं को सम्मान देता है। इस दिशा में न्यायपालिका व कार्यपालिका की भूमिका अहम है लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय बदलावों हेतु जागरूकता व विमर्श बेहद जरूरी है और इसके लिए शैक्षिक संस्थानों को आगे आकर विशेष प्रयास करने होंगे। ये विचार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ में शनिवार को विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) व महिला सशक्तिरण प्रकोष्ठ द्वारा विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के माननीय जस्टिस श्री सूर्य कांत ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की जबकि कार्यक्रम में फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित 315 छात्राओं के रहने की क्षमता वाले बालिका छात्रावास का जस्टिस सूर्य कांत ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास परिसर मे त्रिवेणी लगाकर व पोस्टर प्रदर्शनी का विमोचन कर विश्व पर्यावरण दिवस का भी शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि यह नया छात्रावास पूरी तरह से दिव्यांगजन हितैषी व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें बने कुल 105 कमरों में छात्राओं के लिए बैड, टेबल, चेयर व अलमारी आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय के प्रो. मूलचंद सभागार में आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान की शुरूआत विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुई। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सम्मिलित वक्ता फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार ने कहा कि यह विषय बेहद महत्त्वपूर्ण है और इस पर निरंतर विमर्श आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज बेहतरी के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, रंग व लैंगिक समानता का अनुसरण हो। भारतीय समाज इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस सूर्य कांत ने समाज, देश व विश्व समुदाय के विकास में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए आवश्यक समानता की दिशा मे विशेष प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका की स्थितियों मे सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए नियम, कानून जरूरी हैं। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप इनमें सुधार व संशोधन होते रहने चाहिए। जस्टिस सूर्य कांत ने विशाखा गाइडलाइन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी उपयोगिता इस बात से साबित होती है कि हमारे पड़ोसी देशों बांगलादेश व पाकिस्तान मे भी ऐसी ही गाइडलाइंस को लागू किया गया है। यह गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती हैं और संविधान मे प्राप्त समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार के लिए आवश्यक है। उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय व विभिन्न शिक्षण संस्थानों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया और कहा कि शैक्षणिक संस्थान न सिर्फ अपने संस्थान के स्तर पर बल्कि स्थानीय स्तर पर भी महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता व समानता के लिए बने विभिन्न अधिकारों से आमजन को अवगत करा कर समाज को और बेहतर बना सकते हैं। आम नागरिक को अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने में भी शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका भी अहम है।

इससे पूर्व कार्यक्रम संयोजक व आईसीसी के सदस्य डॉ. प्रदीप सिंह ने विशाखा गाइडलाइन पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस सूर्य कांत के द्वारा इस दिशा में दिए गए फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने जस्टिस सूर्य कांत की अदृश्य न्याय और मुदकमेंबाजी से संबंधित थ्योरी पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में मंच का संचालन महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. रेनु यादव ने किया। कार्यक्रम के अंत मे आईसीसी की प्रेजाइडिंग ऑफिसर प्रो. कल्पना चौहान ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार, शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. आनंद शर्मा, प्रोक्टर प्रो. प्रमोद कुमार, प्रो. राजेश मलिक, प्रो. सारिका शर्मा, डॉ. ए.पी. शर्मा सहित शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी व शोधार्थी उपस्थित रहे।

Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Punjab Kesari (Rewari) **Date: 05-06-2022**

कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ गाइडलाइन पर विशेष आयोजन

देश के विकास के लिए समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्णः सूर्य कांत

- हकेवि में आंतरिक शिकायत समिति व महिला सशक्तिरण प्रकोष्ठ द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

महेंद्रगढ़, सरोज यादव/महेश गुप्ता (पंजाब केसरी): देश व समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वह देश व राष्ट्र महान बन सकता है जो कि महिलाओं को सम्मान देता है। इस दिशा में न्यायपालिका व कार्यपालिका की भूमिका अहम है, लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय बदलावों हेतु जागरूकता व विमर्श बेहद जरूरी है और इसके लिए शैक्षिक संस्थानों को आगे आकर विशेष प्रयास करने होंगे। ये विचार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ में शनिवार को विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) व महिला सशक्तिरण प्रकोष्ठ द्वारा विशाखा गाइडलाइन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के माननीय जस्टिस श्री सूर्य कांत ने व्यक्त किए।

जस्टिस सूर्य कांत ने विशाखा गाइडलाइन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी उपयोगिता इस बात से साबित होती है कि हमारे पड़ोसी देशों बांगलादेश व पाकिस्तान में भी ऐसी ही गाइडलाइंस को लागू किया गया है। यह गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन से सुरक्षा प्रदान करती हैं और संविधान में प्राप्त समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार के लिए आवश्यक है। उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय व विभिन्न शिक्षण संस्थानों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया और कहा कि शैक्षणिक संस्थान न सिर्फ अपने संस्थान के स्तर पर बल्कि स्थानीय स्तर पर भी महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता व समानता के लिए बने विभिन्न अधिकारों से आमजन को अवगत करा कर समाज को और बेहतर बना सकते हैं। आम नागरिक को अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में भी शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका भी अहम है।